

फर्ट अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

बेशीलाल बनाम महावीर सिंह (वर्ग 1)

क्रि.स. नुक्र.सं. प्र.पत्र 111-128 नं० 52 सन् 2021

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स ज.ज.

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

17.21

बाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर
विपक्षीयता को सम्मन नोटिस जारी किये जायें। पत्रावली दिनांक 27-8-21 को
पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक क्लर्क माण्डल

17.8.21

उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 28.8.21 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

8.10.21

पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान के
ग्राम पंचायत पीठासीन से पेश हुई, अप्राप्तता
अनुपस्थित। प्रार्थना का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया
जाता है। मायरा वदशीलफार माण्डल द्वारा मौका प्रिवरि
प्राप्त हुई जिसे शा.पत्र किया गया। निर्णय पत्र
से लिखा जाकर शा.पत्र किया गया। पत्रावली
फैलल नुमार होकर नम्बर से कम है।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या :- 52/21

1- श्री केशी लाल s/o श्री हीरा लाल गाडरी निवासी - गाडरी रोड, गांधी नगर, भीलवाड़ा

बनाम

1- महावीर सिंह s/o नारायण सिंह निवासी - अमरगढ़ पुराना तालाब, भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू. रा. अधि. 1956

:: आदेश ::

दिनांक 18.10.21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू. राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पीथास पटवार हल्का पीथास तहसील मांडल में उसके खाते / संयुक्त खातों की आराजी नं. 858, 859/2, 860/5 कुल किता 03 रकबा 0.5058 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19.7.21 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा - फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सेद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम पीथास पटवार हल्का पीथास तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. 858, 859/2, 860/5 कुल किता 03 रकबा 0.5058 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक पीथास को 500/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी

मांडल, भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा करने पर निष्ठा कर्मचारी को 2021 जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला- भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021